उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73–नेहरू रोड़, देहरादून, दूरभाष : 0135–2657610, फैक्स : 0135–2655488

****

पत्रांक–नि0 – /13–1(क)/लौगिंग आदेश/16–17 – दिनांक: 12 अप्रैल, 2016

सेवा में,

1. **समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,**
2. **समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

विषय :– यूकेलिप्टस वृक्षो की आयतन गणना एवं राँयल्टी भुगतान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी का पत्रांक 516/8–2(25), दिनांक 19.03.2016(प्रति संलग्न)

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 891/x-3-5-21(08)2010, दिनांक 06.05.2015 द्वारा यूकेलिप्टस वृक्ष जिनका व्यास श्रेणी 30–35 से ऊपर हो उनके वास्तविक उत्पादन के आयतन पर रायल्टी का भुगतान किए जाने के निर्देश प्रदत्त है। लौगिंग कार्य के दौरान वृक्ष वार वास्तविक उत्पादन आयतन की गणना में कठनाई को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक, कार्य योजना से इस कार्यालय की पत्र सं० एन 7908/13–1/ लौगिंग जनरल दिनांक 15.03.2016 (प्रति संलग्न) द्वारा उक्त यूकेलिप्टस वृक्षों की आयतन गणना हेतु गुणक निर्धारण किए जाने बावत अनुरोध किया गया। इस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना हल्दानी के उपरोक्त सदर्भित पत्र द्वारा यूकेलिप्टस प्रजाति के आयतन गणना हेतु उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा विकसित आयतन गुणक के आधार पर किए जाने हेतु मान्यता प्रदान की गई है।

अतः आप उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त आयतन गुणंक के अनुरूप यूकेलिप्टस प्रजाति के वृक्षों की आयतन गणना कराने एवं तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस०टी०एस०लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :–नि–266/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महाप्रबन्धक (उत्पादन/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून/हल्द्वानी।
2. लेखाधिकारी (मुख्यालय),उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. आन्तरिक सम्परीक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. प्रभारी आई टी सेल, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. प्रति – (I) शिविर पत्रावली।
   (II) गार्ड फाईल।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(एस०टी०एस०लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

NN/Logging general/ 2016

[redacted]

516
सं0 /8–2 (25)

प्रेषक:–

मुख्य वन संरक्षक,
कार्य योजना, उत्तराखण्ड,
शताब्दी भवन, एफ0 टी0 आई0 हल्द्वानी।

उ0व0वि0नि0, शिविर कार्यालय, देहरादून।
प्राप्ति क्र0 84 दिनांक 2/4/16

अधि0	शिवि	ई0पी0एफ0	नियोजन
लेखा	शिविर	आर0टी0आई0	विपणन
ऑडिट	भण्डार	भवन प्रभारी	खनन
पी0एस0			

MD/GM/RM/OS
19/3

प्रेषित,

प्रबंध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
अरण्य विकास भवन 73–नेहरू रोड,
देहरादून।

दिनांक हल्द्वानी 19/3/2016

विषय:– यूकेलिप्टस वृक्ष व्यास श्रेणी 30–35 के ऊपर वृक्षों की आयतन गणना एवं रॉयल्टी भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक एन 7908 /13–1/लौगिंग जनरल दिनांक 15–03–2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के विभाजन से पूर्व रेल पटरी,, नहर पटरी व अन्य जगहों पर यूकेलिप्टस प्रजाति का रोपण किया गया था। इस हेतु बीज आदि तत्कालीन उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा ही जमा किया गया था। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में उक्त यूकेलिप्टस के रोपण उसी समय के हैं। अतः यह माना जा सकता है कि वर्ष 2000 से पूर्व बीजू वृक्ष जो यूकेलिप्टस प्रजाति के लगाये गये हैं, यूकेलिप्टस प्रजाति के आयतन की गणना हेतु उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा विकसित आयतन गुणक (जो प्राप्त हुये हैं) के आधार की जा सकती है।

अतः यूकेलिप्टस प्रजाति के आयतन की गणना हेतु यही आयतन गुणक उत्तराखण्ड वन विभाग में भी मान्य होंगे।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(ए0 आर0 सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड।
19/3/16

पत्रांक 516 (1)/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि – प्रमुख वन संरक्षक, महोदय, HoFF, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र (जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित है) के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक–यथोक्त

(ए0 आर0 सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड।
19/3/16

पत्रांक 516 (2)/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपि – महाप्रबन्धक (कुमाऊँ मण्डल) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी को संदर्भित पत्र (जिसकी प्रति आपको पृष्ठांकित है) के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – समस्त वन संरक्षक उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–यथोक्त

(ए0 आर0 सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड।
19/3/16

यूकेलिप्टस के आयतन गुणक (घ0मी0 / बक्कल रहित)

(व्यास कक्ष से0मी0 में)

क्रमांक	व्यास	सामान्य	शिवालिक, बिजनौर	केन्द्रीय	गुणता श्रेणी के आधार पर				वृक्ष की ऊँचाई के अनुसार गुणता श्रेणी (मी0)			
					प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0—5	0.0000	0.002	0.000	—	—	—	—	—	—		—
3	5÷10	0.0110	0.019	0.012	0.016	0.011	0.007	0.003	≥ 13.6	10.08—13.6	8.0--10.8	≤ 8.0
4	10—15	0.0530	0.082	0.057	0.078	0.064	0.050	0.036	" 18.3	15.0—18.3	11.7 -15.0	" 11.7
5	.15—20	0.1260	0.189	0.135	0.190	0.160	0.130	0.100	" 21.9	18.3—21.9	14.7--18.3	" 14.7
6	20—25	0.2310	0.333	0.247	0.365	0.312	0.258	0.204	" 25.1	21.2—25.1	17.3--21.20	" 17.3
7	25—30	0.3680	0.531	0.392	0.605	0.520	0.436	0.352	" 27.7	23.6--27.7	19.5- 23.6	" 19.5
8	30—35	0.5360	0.776	0.570	0.912	0.792	0.671	0.550	" 29.9	25.7—29.9	21.5—25.7	" 21.5
9	35—40	0.7360	1.147	0.761	1.276	1.119	0.963	0.860	" 31.5	27.4—31.5	23.5—27.4	" 23.5
10	40—45	0.9670	1.322	1.025	1.713	1.516	1.320	1.123	" 33.0	29.0—33.0	25.0- 29.0	" 25.0
11	45—50	1.2299	1.741	1.308	2.204	1.955	1.708	1.486	" 34.0	29.6—34.0	25.3—29.6	" 25.3
12	50—55	1.5242	2.146	1.620	2.761	2.457	2.157	1.887	" 35 1	30.7--35.1	26.3--30.7	" 26.3
13	55—60	1.8502	2.594	1.966	3.381	3.017	2.659	2.336	" 36.2	31.7—36.2	27.2--31.7	" 27.2
14	60—65	2.2076	3.083	2.344	4.064	3.635	3.213	2.834	" 37.1	32.6—37.1	28.1--32.6	" 28.1
15	65—70	2.5966	3.614	2.756	4.810	4.311	3.820	3.380	" 38.0	34.4—38.0	28.8—33.4	" 28.8
16	70—75	3.0172	4.188	3.202	5.619	5.045	4.480	3.974	" 38.8	34.1—38.8	29.5--34.1	" 29.5
17	75—80	3.4693	4.804	3.680	6.492	5.836	5.192	4.616	" 39.6	34.8—39.6	30.2--34.8	" 30.2
18	80—85	3.9529	5.462	4.192	7.427	6.685	5.957	5.306	" 40.3	35.5—40.3	30.8—35.5	" 30.8
19	85—90	4.4681	6.162	4.737	8.426	7.592	6.775	6.044	" 41.0	36.1—41.0	31.4--36.1	" 31.4
20	90 >	5.0148	6.904	5.316	9.488	8.557	7.646	6.831	" 41.6	36.7—41.6	31.9—36.7	" 31.9

नोट– सामाजिक वानिकी के क्षेत्रों में स्तम्भ सं0 2,3–4 के गुणक प्रयोग किये जायें।